विहार सरकार,

खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग।

पत्रांक–632/(आ० वा०) पटना-15, दिनांक 24 फरवरी, 1992 ई०

प्रेषक,

श्री ईश्वर चन्द्र कुमार,

सरकार के आयुक्त एवं सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

विषय:–जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य के दूकानों द्वारा वितरण किये जाने वाले आवश्यक वस्तुओं पर निगरानी रखने हेतु पंचायत स्तर से जिला स्तर तक वितरण-सह निगरानी समिति के पुर्नगठन के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सरकार ने पुर्नविचार के पश्चात् निर्णय लिया है कि पंचायत से जिला स्तर तक वितरण-सह-निगरानी समिति का गठन निम्न प्रकार किया जायेगा :––

(क) देहाती क्षेत्र के लिए।

1. पंचायत, 2. प्रखण्ड, 3. अनुमण्डल

(ख) शहरी क्षेत्र के लिये

1. वार्ड, 2. नगरपालिका, 3. अधिसूचित क्षेत्र (एन० ए० सी०) 4. अनुभाजन क्षेत्र।

(ग) जिला स्तर पर वितरण-सह-निगरानी समिति

(क) I. पंचायत स्तर पर वितरण-सह-निगरानी समिति के गठन के संबंध में निर्देश अलग से भेजा जा रहा है।

II. प्रखण्ड स्तर पर वितरण-सह-निगरानी समिति

1. राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सामाजिक कार्यकत्ताओं में से एक-अध्यक्ष।

2. प्रमुख।

3. प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी-सदस्य सचिव।

4. प्रखण्ड 20 सूत्री के अध्यक्ष।

5. क्षेत्रीय विधायक एवं सांसद अथवा उनके एक-एक प्रतिनिधि।

6. सरकार द्वारा मनोनीत 9(नव) सामाजिक कार्यकर्त्ता जिसमें एक हरिजन/आदिवासी एवं अल्प संख्यक वर्ग के होंगे।

III. अनुमण्डल स्तर पर वितरण-सह-निगरानी समिति ।

1. अनुमण्डल पदाधिकारी-अध्यक्ष ।

2. सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी-सदस्य सचिव ।

3. अनुमण्डल के सभी विधायक एवं सांसद अथवा उनके द्वारा मनोनीत एक-एक सदस्य ।

4. सरकार द्वारा मनोनीत 9 (नव) सामाजिक कार्यकर्त्ता जिसमें एक हरिजन/आदिवासी एवं अल्पसंख्यक वर्ग के होंगे ।

(ख) I वार्ड स्तरीय वितरण-सह-निगरानी समिति के गठन के संबंध में निर्देश अलग से भेजा जा रहा है ।

II. अधिसूचित क्षेत्र (एन० ए० सी०) वितरण-सह-निगरानी समिति

1. अधिसूचित क्षेत्र के उपाध्यक्ष-अध्यक्ष ।

2. प्रखण्ड 20 सूत्री के अध्यक्ष-सदस्य ।

3. प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी-सदस्य सचिव ।

4. सरकार द्वारा मनोनीत 9 (नव) सामाजिक कार्यकर्त्ता जिसमें एक सदस्य हरिजन/आदिवासी एवं एक अल्पसंख्यक वर्ग के होंगे ।

5. स्थानीय विधायक एवं सांसद द्वारा मनोनीत एक-एक सदस्य ।

III. अनुमंडलीय शहर/ नगरपालिका वितरण-सह-निगरानी समिति

1. अनुमण्डल पदाधिकारी-अध्यक्ष

2. सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी-सदस्य सचिव ।

3. नगरपालिका के अध्यक्ष--सदस्य

4. क्षेत्रीय विधायक एवं सांसद द्वारा मनोनीत एक-एक सदस्य ।

5. सरकार द्वारा मनोनीत 9 (नव) सामाजिक कार्यकर्त्ता जिसमें एक हरिजन./आदिवासी एवं एक अल्पसंख्यक वर्ग के होंगे ।

I. अनुभाजन क्षेत्र के लिये वितरण-सह-निगरानी समिति

1. जिला पदाधिकारी-अध्यक्ष ।

2. विशिष्ट पदाधिकारी-प्रभारी-अनुभाजन-सदस्य सचिव ।

3. स्थानीय विधायक एवं सांसद द्वारा मनोनीत एक-एक सदस्य

4. सरकार द्वारा मनोनीत 9 (नव) सामाजिक कार्यकर्त्ता जिसमें एक-एक सदस्य हरिजन/आदिवासी एवं अल्पसंख्यक वर्ग के होंगे ।

(ग) जिला स्तरीय वितरण-सह-निगरानी समिति

1. जिला पदाधिकारी-अध्यक्ष ।
2. जिला आपूर्ति पदाधिकारी-सदस्य सचिव ।
3. जिला के सभी नगरपालिका के अध्यक्ष-सदस्य ।
4. सरकार द्वारा मनोनीत 9 (नव) सामाजिक कार्यकर्ता जिसमें एक सदस्य हरिजन/आदिवासी एवं एक अल्पसंख्यक वर्ग के होंगे ।
5. जिला के सभी विधायक एवं सांसद अथवा उनके एक-एक प्रतिनिधि ।

1. गठित विभिन्न समितियों के अधिकार एवं कर्त्तव्य

1. पंचायत एवं वार्ड स्तर पर गठित वितरण-सह-निगरानी समिति के अधिकार एवं कर्त्तव्य :–

पंचायत एवं वार्ड में स्थित दूकानों द्वारा उपभोक्ताओं के बीच जिन आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जायेगा उसपर समिति निगरानी रखेगी । कम से कम पाँच सदस्यों द्वारा उचित मूल्य की दूकानों में वितरण का सत्यापन होने के पश्चात् ही दूकानदारों को अगले माह का कोटा दिया जायेगा । दूकानदारों की पंजी एवं भंडार की जाँच का भी अधिकार समिति को रहेगा । समिति की बैठक माह में कम से कम एक बार अवश्य होगी । संयोजन का कार्य पंचायत में मुखिया एवं वार्ड में वार्ड कान्सिलर करेंगे ।

2. प्रखण्ड एवं अधिसूचित क्षेत्र में गठित वितरण-सह-निगरानी समिति के अधिकार एवं कर्त्तव्य:–

इस समिति के पदेन सचिव प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी होंगे जिनका दायित्व होगा कि समिति की बैठक माह में एक बार अवश्य बुलावें । समिति के सदस्यों को सामूहिक रूप से या अलग-अलग तौर पर यह अधिकार होगा कि प्रखंड के आपूर्ति संबंधी कार्यों की समीक्षा कर सकेंगे । समिति द्वारा जिस सूचना की अपेक्षा की जायगी सदस्य सचिव को सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक होगा । समिति द्वारा लिये गये निर्णय, जो सरकारी नीति के परिधि के अन्तर्गत हो; सदस्य सचिव को मानना अनिवार्य होगा । प्रखण्ड के अन्दर जन-वितरण-प्रणाली के माध्यम से बिकने वाली सामग्री यथा-कोयला, किरासन तेल, एवं खाद्यान्न चाहे वह किसी भी जन वितरण प्रणाली की दुकान या सरकार द्वारा प्राधिकृत दूकान से बिकते हों, समिति को देखने का अधिकार होगा । आवंटन के अनुसार जन-वितरण प्रणाली व दूकानदार सामान उठाते हैं या नहीं यह भी देखने का अधिकार समिति को रहेगा ।

3. नगरपालिका अनुमंडलीय शहर के स्तर पर गठित वितरण-सह-निगरानी समिति के अधिकार एवं कर्त्तव्य :–

1. समिति की बैठक प्रतिमाह हो यह दायित्व सदस्य सचिव (सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी) का होगा। यह समिति नगरपालिका स्तर पर कोयला, किरासन तेल एवं खाद्यान्न आदि के वितरण पर निगरानी रखेगी कि सरकार के निर्धारित नीति के परिधि के अंतर्गत बिक्री की जा रही है अथवा नहीं । इसके अतिरिक्त आपूर्ति विभाग से संबंधित प्रत्येक सामग्री पर निगरानी रखने का समिति को अधिकार होगा । शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत कोयला एवं जन-वितरण-

प्रणाली के अन्तर्गत कार्यरत दूकानों द्वारा बिक्री की जानेवाली किरासन तेल, खाद्यन्न एवं अन्य वस्तुओं के संबंध में समिति की बैठक में निर्णय लेने का समिति को पूर्ण अधिकार होगा। वैसे निर्णय जो सरकार द्वारा निर्धारित नीति की परिधि में होंगे उनको मानना अनिवार्य होगा।

4. जिला स्तर पर गठित वितरण-सह-निगरानी समिति के अधिकार एवं कर्त्तव्य : –

जिला समिति की बैठक माह में एक बार अनिवार्य रूप से होगी। जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी पदेन सचिव होंगे। जिलान्तर्गत बिक्री की जाने वाले कोयला, किरासन तेल, खाद्यान्न इत्यादि के वितरण पर निगरानी रखेगी। बैठक की कार्यवाही की एक प्रति प्रत्येक माह निर्धारित अवधि तक खाद्य, आपूर्त्ति एवं वाणिज्य विभाग को अनिवार्य रूप से भेजना होगा।

उपरोक्त विभिन्न स्तरों पर गठित समितियों के सदस्यों के कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने के तिथि से तीन वर्ष तक रहेगा। इसमें आवश्यकतानुसार संशोधन भी किया जा सकता है तथा सरकार की सन्तुष्टि के अनुसार मनोनीत सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को हटाया जा सकता है। वितरण-सह-निगरानी समिति के गठन से संबंधित पूर्व में निर्गत सभी आदेश विलोपित किये जाते हैं। विभिन्न स्तरों के लिये जब तक सरकार द्वारा सामाजिक कार्यकर्त्ताओं का मनोनयन नहीं हो जाता है, तबतक पदेन सदस्यों से ही समिति को हर एक स्तर पर कार्यकारी बनाया जाय।

अनुरोध है कि सरकार द्वारा लिये गये उपर्युक्त निर्णयानुसार नई वितरण-सह-निगरानी समिति के पुनर्गठन के संबंध में आवश्यक कार्रवाई तुरंत कर अनुपालन प्रतिवेदन भी देने की कृपा करें।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

विश्वासभाजन,

सरकार के आयुक्त एवं सचिव

ज्ञापांक–632 / आ० वा०, पटना–15, दिनांक–24 फरवरी, 1992 ई०।

प्रतिलिपि, सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उप निदेशक, खाद्य एवं असैनिक आपूर्त्ति/सभी अपर समहर्त्ता (आपूर्त्ति)/सभी विशिष्ट पदाधिकारी प्रभारी अनुभाजन/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/सभी जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी/सभी सहायक जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित।

सरकार के आयुक्त एवं सचिव